

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, एस0एस0जे0 परिसर, अल्मोड़ा
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, छात्र परिषद (महासंघ) निर्वाचन-2019-20

अधिसूचना

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल के पत्रांक: मा0/छात्र महासंघ/2019/652 दिनांक 30.09.2019 द्वारा कुमाऊँ विश्वविद्यालय छात्र परिषद 2019-20 के निर्वाचन नामित/मनोनीत निर्वाचन अधिकारी के रूप में (अधोहस्ताक्षरी), कुमाऊँ विश्वविद्यालय के परिसरों एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों के छात्रसंघ संविधान में प्रदत्त शक्तियों एवं अधिकारों के सुसंगत प्रावधानों का प्रयोग करते हुए आज दिनांक 07.09.2019 को कुमाऊँ विश्वविद्यालय छात्र परिषद के निर्वाचन की अधिसूचना की घोषणा करता हूँ। जिसका विवरण निम्नवत् है:-

विश्वविद्यालय छात्र परिषद् पदाधिकारियों के निम्नलिखित पद होंगे:-

- अध्यक्ष – एक
उपाध्यक्ष – दो (एक छात्र और एक छात्रा)
सचिव – एक
संयुक्त सचिव – एक
कोषाध्यक्ष – एक

विश्वविद्यालय के परिसरों/सम्बद्ध महाविद्यालयों से निर्वाचित विश्वविद्यालय प्रतिनिधि, विश्वविद्यालय छात्र परिषद् का निर्वाचक मण्डल होता है। इसी निर्वाचक मण्डल द्वारा विश्वविद्यालय छात्र परिषद् के पदाधिकारियों का चुनाव किया जाएगा। इस निर्वाचन में केवल निर्वाचित विश्वविद्यालय प्रतिनिधि सत्र (2019-20) ही मतदान के लिए प्रतिभाग करेंगे। कुमाऊँ विश्वविद्यालय, छात्र परिषद (महासंघ) के विभिन्न पदाधिकारियों के लिए विश्वविद्यालय प्रतिनिधि ही उम्मीदवार के रूप में अर्ह होंगे। प्रत्येक पद हेतु प्रस्तावक व अनुमोदक भी विश्वविद्यालय में अध्ययनरत संस्थागत विद्यार्थी ही होंगे। एक बार पदाधिकारी के रूप में अथवा दो बार कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में चुनाव लड़ चुका अभ्यर्थी महासंघ के पदाधिकारी का चुनाव लड़ने हेतु योग्य नहीं होगा। विश्वविद्यालय छात्र संविधान तथा यह अधिसूचना कुमाऊँ विश्वविद्यालय की वेब साइट www.kunainital.ac.in में भी उपलब्ध है। प्रत्येक पद हेतु छात्रसंघ संविधान अनुच्छेद 05 में उल्लिखित अर्हताओं को पूर्ण करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक पद हेतु वही विद्यार्थी अर्ह होंगे, जिन्होंने लिंगदोह समिति की सिफारिशों के अनुपालन में आज से पूर्व विश्वविद्यालय परिसर/महाविद्यालय में छात्रसंघ/विश्वविद्यालय परिषद् (महासंघ) में किसी भी पदाधिकारी के रूप में चुनाव न लड़ा हो। प्रत्याशी के रूप में समस्त अर्हताएं पूर्ण करने तथा पूर्व में कोई भी चुनाव पदाधिकारी के पद के लिए नहीं लड़ने का प्रमाण परिसर/महाविद्यालय के अधिष्ठाता छात्र कल्याण/प्राचार्य द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र मूल रूप में नामांकन करते समय प्रस्तुत करना होगा। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय छात्र परिषद् के नियमों के अन्तर्गत अनिवार्यताएं भी पूरी करनी होंगी। इसके साथ ही प्रत्याशी सत्यापित फोटो, परिचय पत्र एवं संबंधित परिसर एवं महाविद्यालय का संस्थागत छात्र होने का मूल प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करेगा। प्रत्याशी को विश्वविद्यालय प्रतिनिधि निर्वाचित होने का परिसर/महाविद्यालय के अधिष्ठाता छात्र कल्याण/प्राचार्य के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र को भी प्रस्तुत करना होगा। प्रस्तावक तथा अनुमोदक एक पद के लिए केवल एक प्रत्याशी का ही प्रस्ताव अथवा अनुमोदन करेंगे।

1. नामांकन शुल्क तथा जमानत धनराशि छात्रसंघ संविधान में समय-समय पर यथा संशोधित रूप में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार ही लिया जाएगा।
2. चुनाव स्थल एस0एस0जे0 परिसर, अल्मोड़ा।
3. चुनाव कार्यक्रम निम्नवत है:—

<u>क्र०सं०</u>	<u>कार्यक्रम का विवरण</u>	<u>दिनांक</u>	<u>समयावधि</u>
1.	नामांकन	11.09.2019	12.00 – 02.30 बजे तक
2.	नामांकन वापसी	11.09.2019	02.45 – 03.30 बजे तक
3.	नामांकन पत्रों की जांच	11.09.2019	03.45 – 04.15 बजे तक
4.	अर्ह प्रत्याशियों की सूची का प्रकाशन	11.09.2019	04.30 बजे
5.	मतदान (यदि आवश्यक हो)	12.09.2019	11.00 – 02.00 बजे तक
6.	मतगणना	12.09.2019	मतदान के तुरन्त बाद
7.	परिणाम की घोषणा	12.09.2019	मतगणना के तुरन्त बाद
8.	शपथ ग्रहण	12.09.2019	परिणाम घोषित होने के उपरान्त

चुनाव अधिकारी
मो०— 9412162017

पृ०सं० / चु०अ० / छात्र परिषद /

दिनांक: 07.09.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस अनुरोध के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कि उक्त सूचना को अपने समाचार पत्रों में निःशुल्क लोकहित/जनहित/छात्रहित में इस विज्ञापित को कुमाऊँ संस्करण में प्रकाशित करने का कष्ट करें:—

1. अमर उजाला, अल्मोड़ा।
2. दैनिक जागरण, अल्मोड़ा।
3. उत्तर उजाला, अल्मोड़ा।
4. दैनिक हिन्दूस्तान, अल्मोड़ा।
5. राष्ट्रीय सहारा, अल्मोड़ा।
6. दैनिक आज, अल्मोड़ा।

चुनाव अधिकारी
मो० 9412162017